RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 अगस्त, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 3

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अभी तक गर्मी का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है। हम नहीं जानते कि इस गर्मी से हरी सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा परन्तु यह अवश्य जानते है कि इस बेपनाह गर्मी से आलू खाने का स्वाद काफी कम हो गया है। शायद यह वजह भी हो सकती है कि बाजारों में आलू की बिक्री कम हो गई हो। वैसे हासन के आलू के मार्केट में आ जाने से आलू की बिक्री पर अवश्य दबाव पड़ा है। हासन के आलू ने अभी तक उत्तर भारत के प्रान्तों में अपने पाँव नहीं पसारे हैं। यह अभी दक्षिणी प्रान्तों में ही सीमित है परन्तु फिर भी आलू की बिक्री पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल की बदलती हुई नीति से आलू की बिक्री पर प्रभाव पड़ रहा है। कभी पश्चिम बंगाल सरकार आलू की बिक्री पर रोक लगा देती है और कभी छूट प्रदान कर देती है।

इसका एक कारण सुनने में यह भी आया है कि पाकिस्तान को जाने वाले आलू में कमी आई है। पाकिस्तान की माँग कितनी कम हुई है और कब तक के लिए कम हुई है हमें नहीं पता लग पा रहा है।

शीतगृहों से आलू की निकासी बहुत अधिक तो नहीं कही जा सकती परन्तु सन्तोषजनक कही जा सकती है, जो कि 40 से 45 प्रतिशत के बीच में आंकी जा सकती है। कुछ जगह 50 प्रतिशत की भी निकासी हुई है। अभी हमारे पास दो महीने का समय बाकी है, इसमें बाकी का माल निकलना है। हम आलू रोकने की सलाह कभी नहीं देते। थोड़ा–थोड़ा करके हर भाव पर आलू बेचते रहना ही उचित होता है। यही सलाह आप अपने यहाँ बड़े भण्डारणकर्ताओं को देते रहे तो ठीक होगा।

यह सोचकर बैठ जाना कि आलू कम है, आलू की डिमाण्ड बहुत आयेगी और भाव चढ़ेंगे ही बहुत गलत होता है। इसमें कभी–कभी आलू बहुत बुरी तरह फँस जाता है। किसी का भी सारा भण्डारित आलू सबसे ऊँचे भाव पर नहीं बिकता। हमें पता भी नहीं होता कि किन प्राकृतिक या राजनैतिक या सामाजिक कारणों से आलू की बिक्री एकदम कम हो गई और बाजार में घबराहट फैल गई। इसलिए आप अपने विवेक का अवश्य प्रयोग करें और जैसा उचित समझे वह कदम उठाए।

शीतगृहों की समस्याओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री से बातचीत :

फेडरेशन के सदस्य पूरे भारत में आलू के बीज की कमी से बहुत चिन्तित थे। इस विषय पर सदस्यों ने केन्द्रीय कृषि मंत्री व अन्य सचिवों के साथ बैठक की और अनुरोध किया कि वह आलू के बीज का आयात खोलें। इससे न केवल भारत में आलू के बीज की कमी दूर होगी वरन अच्छे किस्म के बीज मिलने से आलू का उत्पादन बढ़ेगा। आज आलू की कमी के कारण शीतगृह खाली रह जा रहे हैं। यह कमी तभी दूर हो पायेगी जब भारत में भण्डारण के बाद इतना आलू हो कि जिसका कि समुचित निर्यात मार्केट तैयार किया जा सके और वहाँ पर ताजा आलू समाप्त होने के बाद, भण्डारित आलू नियमित तौर पर भेजा व बेचा जा सके।

इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि वह पूरी गम्भीरता से विचार करके हर सम्भव रास्ता निकालेंगे कि आलू के बीज का आयात किया जा सके।

नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री व सचिवों के साथ बैठक में शामिल सांसद रामशंकर कठेरिया और फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स आफ इण्डिया के पदाधिकारी बायें से दायें श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री अजय गुप्ता, प्रभात कोल्ड स्टोरेज, श्री भुवेश अग्रवाल, अम्बिका शीतगृह, श्री राकेश गर्ग, कोआर्डिनेटर इन्टरनेशनल अफेयरस, श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष, माननीय सांसद रामशंकर कठेरिया, माननीय केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री।

नई सब्सिडी स्कीम के सम्बन्ध में :

एकीकत बागवानी विकास मिशन द्वारा अधिकृत नई सब्सिडी व्यवस्था संचालन संबंधी दिशा–निर्देश :

श्री पवनेक्स कोहली, चीफ एडवाइजर व सी.ई.ओ. बागवानी विकास मिशन ने हमें यह सूचना भेजी है जिसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं –

कोल्ड चेन में प्रौद्योगिकी अधिष्ठान, सी.ए. एवं आधुनिकीकरण के लिए संलग्नक :

क्र.सं.	मद	वर्णन	स्वीकार्य लागत
1	सी.ए. जनरेटर	सेंसर्स, दबाव एकरुपण उपकरण, नियंत्रण को मिलाकर	125.00 लाख/इकाई, अधिकतम 2 जनरेटर
2	विशेष सी.ए. दरवाजे	सकारात्मक दबाव कक्ष के लिए विशेष स्टोरेज दरवाजे	2.50 लाख/दरवाजा, अधिकतम 20 दरवाजे
3.	सी.ए. तंबू	नए या मौजूदा कोल्ड स्टोरेज के लिए पी.वी.सी. के सस्ते पॉलिथीन, माइलर या अन्य अभेद्य बाड़ा	मूल बिल के अनुरूप, अधिकतम 5 बाड़ा

4	प्रोग्रेम लॉजिक कंट्रोलर (पी.एल.सी.) उपकरण	नए या मौजूदा कोल्ड स्टोरेज के लिए मशीनरी एवं उपकरणों हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल	मूल बिल के अनुरूप लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 10 लाख रुपये।
5	बाड़ा तलेक्षकरु प्रणाली (Deck Lever System)	नए या मौजूदा कोल्ड स्टोरेज में	अधिकतम 7 लाख रुपये/इकाई, अधिकतम 5 इकाई।
6	वेयरहाउस विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्लू.डी.आर.ए.)/ विनिमेय वेयरहाउस रसीद (एन.डब्लू.आर.) प्रणाली, उपकरण	कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स एवं डब्लू. डी.आर.ए. के एन.डब्लू.आर. में इस्तेमाल हेतु सॉफ्टवेयर	मूल बिल के अनुरूप लागत का 100 प्रतिशत, 15 लाख रुपये/ परियोजना।
7	विशेष पैकेजिंग	पैकेजिंग सामग्रियों समेत फलों, सब्जियों के लिए फर्म के कोड चस्पा करने की सुविधा समेत स्वचालित पैकेजिंग इकाई	प्रत्येक मूल बिल के अनुरूप लागत का 100 प्रतिशत, 15 लाख रुपये/परियोजना
8	उच्च विस्तार सामग्री हैंडलिंग उपकरण (एम.एच.ई.)	विशेष सामग्री हैंडलिंग उपकरण	17.00 लाख रुपये/इकाई, अधिकतम 2 इकाई।
9	प्रशीतन (Refrigeration) का आधुनिकीकरण	वाष्पनमापी प्रणाली, कंप्रेसर प्रणाली को उन्नतिशील बनाने हेतु	मूल बिल के मुताबिक लागत का 50 प्रतिशत। 2500 रुपये/एम.टी. की दर से अधिकतम 100 लाख।
10	पृथक्करण (Insulation) का आधुनिकीकरण	शीतल कक्ष पृथक्करण की मरम्मत और आधुनिकीकरण हेतु	मूल बिल के मुताबिक लागत का 50 प्रतिशत। 1500 रुपये/एम.टी. की दर से अधिकतम 100 लाख।
11	रीफर कंटेनर	मौजूदा चेसिस ट्रेलर्स पर इस्तेमाल हेतु रीफर कंटेनर	प्रत्येक 9 एम.टी. (20 फीट के कंटेनर) के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये।
12	अत्याधुनिक ग्रेडर	कम्प्यूटरीकृत, पैकेजिंग सामग्री के साथ ऑप्टिकल ग्रेडिंग लाइंस	मूल बिल के मुताबिक लागत का 100 प्रतिशत। अधिकतम 75 लाख रुपये/लाइन
13	टाल प्रणाली (Stacking System)	मौजूदा या नए कोल्ड स्टोरेज के लिए टाल प्रणाली, पैलेट्स	मूल मिल पर आधारित लागत का 10 प्रतिशत। अधिकतम 2000/एम.टी.।
14	छोटे ताक (Retail System)/उपकरण	तापमान को नियंत्रित करने वाले छोटे कैबिनेट्स या मर्चेंडाइजिंग उपकरण	प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये।

15	वैकल्पिक प्रौद्योगिक	वाष्प शोषकता, फेज चेंद सामग्री, पी.वी.सी. पैनल्स या सोलर थर्मल प्रणाली	बिल पर आधारित लागत का 100 प्रतिशत। अधिकतम 35 लाख रुपये/ परियोजना

अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी मूल बिल पर आधारित होगी, लेकिन किसी भी सूरत में 750 लाख से अधिक नहीं होगी या जो भी कम हो वह होगी। एड ऑन तकनीक के लिए ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी स्वीकार्य लागत के 35/50 प्रतिशत ही उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीक ऑपरेटर के गुणवत्ता में ही निहित होगी और स्वीकार्य लागत भी प्रेरक अधिष्ठापन के मानक के रूप में होगा न कि परियोजना के वित्तपोषण के रूप में।

कॉर्बन पदचिह्न कम करने हेतु नई तकनीक या उपकरण के अधिष्ठापन के लिए अन्य उपकरणों के बारे में तकनीकी समिति फैसला कर सकती है। एकल इकाई उपकरणों जैसे पृथक्करण, ग्रेडर्स, सी.ए. जनरेटर, सोलर पैनल्स इत्यादि के लिए एन.सी.सी.डी. प्रचार एजेन्सियों के जरिए दिशा–निर्देश का प्रकाशन करेगी।

वैसे श्री कोहली ने मौखिक रूप से भी बताया कि मशीनों व इन्सूलेशन के आधुनिकीकरण जिससे कि कम से कम 5 प्रतिशत बिजली खपत में बचत अवश्य हो व पुराना इन्सुलेशन 15 साल

क्रमाशः पृष्ठ 10 पर

FOR SALE

NANPARA COLD STORAGE & ALLIED INDUSTRIES, BAHRAICH ROAD, NANPARA PIN 271865

18 kms. FROM NEPAL BORDER - ON ROAD

- LICENSED CAPACITY 96000 QUINTAL
- STORAGE CAPACITY 85000 QUINTAL
- LAND : 1 LAKH SQUARE FEET WITH BOUNDARY
- BUNKER COIL SYSTEM – RCC CONSTRUCTION
- KC6/KC4/MX-200 COMPRESSORS ONE EACH

CONTACT
SHRI ADESH AGARWAL
MOBILE : 9415121654/9936854123

Visitors are invited to visit the Cold Storage premises and discuss face to face

पृष्ठ 8 का शेष

से ज्यादा पुराना हो चुका हो, पैकिंग हाउस, स्टैकिंग सिस्टम, मैटिरियल हैण्डलिंग और लिफ्ट के लिए भी – कनवेयर बेल्ट इसमें शामिल नहीं है – प्री–कूलिंग यूनिट, रिकूलिंग यूनिट व कोल्ड रूम पर 15 लाख रूपए तक की सब्सिडी होगी। इस बिन्दु पर आप श्री कोहली से, यदि आपको सब्सिडी की जरूरत हो तो अवश्य पूछ लें या हमें लिख दें तो आपकी जरूरत के अनुसार हम आपको लिखित सूचना दे देंगे।

फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के सम्बन्ध में :

फूड सेफ्टी एक्ट को शीतगृहों से हटाने के सम्बन्ध में हमारा प्रयत्न बराबर चल रहा है। जैसा कि हमने पत्रिका में पिछले अंक में सूचित किया था कि हमारा एक प्रतिनिधि मण्डल डॉ. हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री से मिला था। उन्होंने सलाह दी थी कि हम सचिव, स्वास्थ्य से मिले और उन्हें यह आवेदन सौंपे। हम दिनांक 4.8.2014 को स्वयं शीतगृहों के अन्य सदस्यों के साथ श्री रमाशंकर कठेरिया, सांसद, जिन्होंने इस मीटिंग को करने में हमारी सहायता की, सचिव स्वास्थ्य से मिला और उन्हें प्रतिवेदन भी दिया। हम यहाँ प्रतिवेदन की कॉपी प्रस्तुत कर रहे हैं :

03-08-2014

To,

Shri Lov Verma Ji
Secretary, Ministry of Health & Family Welfare
Government of India
Nirman Bhawan, New Delhi

Subject : Food Safety Act on Cold Storage Industry

Dear Sir,

The Government has recently included Cold Storage Industries in the purview of Food Safety Act and as such Cold Storage owners are required to take license under this Act. We present below the following facts in this regard :

1. The cold storage only store the agricultural produce of the farmers.
2. They have no right to sell the stored produce and it is on the will of farmers to sell them when they feel appropriate.
3. No processing is performed on the stored produce.

4. The Cold Storage's are already governed by the respective State Cold Storage Act and they are bound by the provision of State Act's.
5. Cold Storage only provide appropriate atmospheric conditions for the better life of the agriculture produce during storage.

If Food Safety Act is imposed on the Cold Storages who are involved in the storages of agriculture produce, it will only promote red tapism and create unwanted procedural hardships for the Cold Storage Industry.

We have already given a representation on this issue to the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan Ji personally.

We, therefore humbly request you to kindly exclude Cold Storage' who are only storing agriculture produce from the purview of this Act.

Thanking you,

Yours faithfully

For **Federation of Cold Storage Associations of India**

Mahendra Swaroop (President)

Rajesh Goyal (Gen. Secretary)

श्री मोहित अग्रवाल, सचिव, श्री राकेश गर्ग, कोआर्डिनेटर इन्टरनेशनल अफेयर्स, माननीय सांसद रामशंकर कठेरिया, श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष श्री राजेश गोयल, सचिव फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया स्वास्थ्य सचिव को प्रतिवेदन देते हुए।

कृपया ध्यान दें कि फूड सेफ्टी एक्ट में रजिस्ट्रेशन 4.2.2015 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सम्बन्धित सर्कुलर नीचे दिया है।

File No. 1/1/Enf-1/FSSAI/2012 (Pt.)

Food Safety and Standards Authority of India

(Ministry of Health and Family Welfare)

FDA Bhawan, Kotla Road,
New Delhi-110002

Date : 4th August, 2014

Subject : Extending time line upto 4th February, 2015 for the Food Business Operators seeking conversion/renewal of existing license/ registration under repealed orders

The time line mentioned in the sub-regulation 2.1.2 of Food Safety and Standards (Licensing and registration of Food Business) Regulation, 2011 has been further extended upto 04.02.2015.

This issues with the approval of the competent authority.

(Bimal K. Dubey)
Director (Enforcement)

To,

1. All Food Safety Commissioners of States/UTs
2. All Central Licensing Authority

आगे की और सूचनाएँ हम यथा समय देते रहेंगे।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत शीतगृहों का लाईसेन्स/ पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में :

हमने एक पत्र कमिश्नर फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को लिखा था जिसका जवाब उन्होंने हमें न देकर सीधे निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र. को भेजा, वह हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं :

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र.

2–सप्रू मार्ग, लखनऊ

पत्रांक – आलू 222/खाद्य सुरक्षा मानक/दिनांक 28 जुलाई, 2014

1. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ.प्र.।
2. समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उ.प्र.।

विषय : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शीतगृहों का लाइसेन्स/पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में संचालित शीतगृहों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लाइसेन्स/पंजीकरण कराया जाना है। लाइसेन्स/पंजीकरण के सम्बन्ध में शीतगृह स्वामी एवं अन्य सम्बन्धित के द्वारा प्रकरण में कार्यवाही के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की जा रही थी। लाइसेन्स प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अध्यक्षता में दिनांक 03 अप्रैल, 2014 को बैठक हुई जिसमें वस्तु–स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 5 बिन्दुओं पर विभागीय अभिमत पत्र संख्या – एफ.एस.डी.ए./खाद्य/2014/3082 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 द्वारा निदेशालय को प्रेषित किया गया है। प्राप्त अभिमत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक – यथोक्त।

(एस.पी. जोशी)
निदेशक

पृष्ठांकन सं.   /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप निदेशक उद्यान, उ.प्र.।
2. अध्यक्ष, उ.प्र. शीतगृह संघ, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ

(एस.पी. जोशी)
निदेशक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शीतगृहों का लाइसेन्स/पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में अभिमत

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शीतगृहों का लाइसेन्स/पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अध्यक्षता में दिनांक 03 अप्रैल 2014 को हुई बैठक के क्रम में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 5 बिन्दुओं पर विभागीय अभिमत आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाइसेन्स/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार हेतु लाइसेन्स एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के शेड्यूल–4 में निर्धारित हाइजीन एवं सेनेट्री सम्बन्धी सामान्य/विशिष्ट शर्तों को पूर्ण किये जाने के अधीन निर्गत किये जाते हैं, जिसका उद्देश्य आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तापरक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।

   खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–97 (2) एवं 89 के अनुसार इस अधिनियम के प्रभावी होते ही प्रचलित सम्बन्धित राज्य खाद्य विधियाँ इस अधिनियम के विस्तार क्षेत्र की सीमा तक निरसित हो गयी है।

   उत्तर प्रदेश शीतगृह विनियमन अधिनियम 1976 के अधीन निर्गत किये जाने वाले लाइसेन्स का प्रभावी होना इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि सम्बन्धित लाइसेन्स किन शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–65 में उपभोक्ता को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने अथवा मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति का प्राविधान है। अन्य विषयित विवादों पर उक्त अधिनियम में प्राविधान विहित नहीं है।

3. सम्बन्धित प्राविधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में विहित नहीं है।

4. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्राविधान उक्त अधिनियम की धारा–3(1) (जे) में उल्लिखित खाद्य की परिभाषा से आच्छादित होने वाले खाद्य पदार्थों पर व उनसे सम्बन्धित विषयों पर लागू होते हैं। अधिनियम के विस्तार क्षेत्र की सीमा से बाहर के विषयों पर उक्त अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

5. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार हेतु लाइसेन्स एवं पंजीकरण) विनियम 2011 में शेड्यूल–2 में उल्लिखित लाइसेन्स आवेदन पत्र में कारोबार के प्रकार में कोल्ड स्टोरेज का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त खाद्य पदार्थ को इस प्रकार भण्डारित किया जाता है कि सम्बन्धित खाद्य पदार्थ की उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ) बढ़ जाये एवं उन परिस्थितियों को शीतगृह में बनाये रखने का उत्तरदायित्व शीतगृह संचालक का होता है जिसके लिए उनके द्वारा किराया प्राप्त किया जात है। सही भण्डारण वातावरण न होने पर खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कुप्रभावित होती है, जिसका प्रभाव उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर होने की संभावना रहती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 केन्द्रीय अधिनियम है, जिससे छूट प्रदान किये जाने का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है।

(धर्मेन्द्र नाथ पाण्डेय)
उप निदेशक आलू
निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र., लखनऊ

सेन्ट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला द्वारा आलू पर सेमिनार :

सेन्ट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला 1 और 2 नवम्बर, 2014 को शिमला में आलू में आने वाली नई समस्याओं के बारे में एक सेमिनार आयोजित कर रहा है। यदि आप जाने के इच्छुक हो तो हमें सूचित कर दें, जिससे कि हम आपका आवश्यक फार्म, जो कि आपको भर कर भेजना है आप तक पहुँचा सकें।

इस सेमिनार में रजिस्ट्रर होने के लिए 30 सितम्बर, 2014 तक apply कर देना जरूरी है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 3000 रूपए होगी और रहने का खर्चा, जैसी जगह आप पसन्द करेंगे उस हिसाब से 2000 से 7000 रूपए प्रतिदिन का आयेगा। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमें तुरन्त लिख भेजें।

India Cold Chain Show 2014

दूसरी प्रदर्शनी India Cold Chain Show 2014, 10th/11th/12th December, 2014 को Bombay Exhibition Centre, Mumbai, Maharashtra में आयोजित की जा रही है। इसके आयोजक Reed Manch Exhibitions, Delhi NCR है, इनका पूरा पता इस प्रकार है :

Reed Manch Exhibitions Pvt. Ltd.

A-78, First Floor, Sector-4, NOIDA 201301 Uttar Pradesh

Telephone : 0120-4273921, 4334111

- **स्थान** : Hall No.1, Bombay Exhibition Centre, Goregaon East, Western Express Highway, Mumbai 400063
- **संपर्क** : श्री प्रशान्त नारायन
  मोबाइल 09899622090
  ई मेल prashantnarain09@gmail.com या
  prashant.narain@reedmanch.com या
  www.indiacoldchainshow.com
- **प्रदर्शनी का समय** : सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

अन्य किसी भी प्रश्न के लिए आप श्री प्रशान्त नारायन से बात कर सकते हैं जिनका फोन नम्बर हमने ऊपर दे दिया है। अपने पहुँचने की सूचना व कमरों की बुकिंग भी इनके द्वारा करवा सकते हैं। ऐसा करते समय यह जरूर पूछ लीजिए कि होटल का भुगतान इन्हें ही किया जाए या सीधे होटल को भेजा जाए।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को प्रदर्शनी मैदान में ही एक बड़े हाल मे मीटिंग का प्रबन्ध रखा गया है। होटल में ठहरने वाले शीतगृहस्वामियों को या अन्य शहरों से आने वाले शीतगृहस्वामियों को अपने आने की सूचना पहले से भेजना जरूरी है। 10 व 11 दिसम्बर, 2014 को लंच व डिनर की सुविधा Reed Manch की तरफ से की जायेगी।

10 दिसम्बर, 2014 की रात को Reed Manch द्वारा बनाई चयन समितियों द्वारा शीतगृहस्वामियों को अवार्ड भी वितरित किए जायेंगे।

हम सदस्यों के ठहरने के लिये होटल व्यवस्था देख रहे हैं। हमें आशा है कि हम इसकी विस्तृत सूचना अगले अंक में अवश्य दे देंगे।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA
WELCOMES
ALL THE DISTINGUISHED GUESTS

आलू पर होने वाली अन्य प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में :

दिनांक 21, 22 नवम्बर, 2014 India Cold Chain Expo ICE 2014 को YMCA International Centre, Ahemdabad में आयोजित की जा रही है जिसे गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अपना सहयोग प्रदान कर रही है। यह प्रदर्शनी Refrigerated Warehousing, Cold Storage Construction, Refrigerated Logistics and Transportation, रेफ्रीजरेटेड माल को लाने ले जाने के प्रबन्ध के बारे में आयोजित की गई है। आप में से जो भी इस प्रदर्शनी को देखना चाहे वह अहमदाबाद अवश्य पहुँचे। इसमें शीतगृहस्वमियों को जो कि इस प्रदर्शनी में शामिल होना चाहते है कुछ सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं। सुविधाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान आप श्री आशीष भाई गुरू, अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन व वरिष्ठ अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया, केयर गुरू कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. 1, साबरमती इण्डस्ट्रियल जोन, अडानी सी.एन.जी. पम्प के सामने, अहमदाबाद पिन 380005 फोन मोबाइल 09825008550 ई मेल guruashish@gmail.com से फोन द्वारा संपर्क करके हासिल कर सकते हैं।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित